पत्रावली संख्या · IV – 1461

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सैक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2015/ IV – 1461/ 179

दिनांक 23/6/15

सेवा में,

M/s Three C Infra Square Pvt. Ltd.,
D – 107, Panchsheel Enclave,
New Delhi - 110017

आपके प्रार्थना पत्र **दिनांक 05.05.2015** के संदर्भ में आपके द्वारा प्रस्तावित **स्पोर्टसिटी भूखण्ड संख्या एस0सी0 - 02/डी, सैक्टर - 150, नौएडा** पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (भवन निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफैक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रैम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करे ।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा ।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।
15. स्वीकृत ले-आउट प्लान की पत्रावली संख्या IV-1451/स्वीकृति - 780 दिनांक 16.04.2015 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्ते आदि यथावत पूर्णरूप से लीज धारक पर भी लागू होंगी तथा इस स्वीकृति का अभिन्न भाग रहेगा ।

16. ब्रोशर, लीजडीड,सबलीज डीड, महायोजना, बिल्डिंग रेगुलेशन्स आदि के तथा संशोधित अद्यावधिक नियम, शर्तो, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेगे ।

17 यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सिटी की योजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा स्वतन्त्ररूप से इस प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति का कोइ अस्तित्व नही रहेगा ।

18. स्पोर्ट सिटी की परियोजना के लिए ब्रोशर/लीज डीड में पृष्ठ 9 से 11/सी पर अंकित सुविधाओं के विकास एवं वित्तीय परिव्यय के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने का दायित्व/सह दायित्व मूल लीज डीड धारक एवं सब लीज डीड धारक का संयुक्त रूप से रहेगा ।

19. मनोरंजन(खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाओं) के अनउपयोगित एफ०ए०आर० 10.379.109 वर्ग मी० के आवासीय उपयोग से स्थानान्तरित कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन घटक की सभी कार्य एवं सुविधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा, जिसको सबलीज डीड धारक के हिस्से में आने वाले भाग को मानचित्र में प्रस्तावित आवासीय निर्माण में फेस-2 के रूप में दर्शाया गया है । इससे पूर्व इस भाग की स्वीकृति मात्र प्रतीकात्मक रूप में ही मान्य होगी ।

20. ग्रीन बिल्डिंग हेतु अनुमन्य अतिरिक्त 5% एफ०ए०आर० भवन विनियमावली, 2010 के प्राव्धानों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमन्य होगा ।

21. प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

22. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नही किया जायेगा एवं प्रस्तगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू–जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू–जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू–जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा ।

23. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी भूखण्ड पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्तें/लीज़ डीड की शर्तें/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा मे यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

24. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग मे नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य कियाये एवं उपयोग तथा उसके सपोटिंग यूज मे अनुमन्य कियाये एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा मे नही होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।

25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के कियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर कियाशील किए जाने तक सतत् समीक्षा की जायेगी

26. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तो एवं नियमो के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी ।

27. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनो का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशो, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानको के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।

28. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुर्नवितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागो की गाइड लाइन्स/ मानको/नियमो/शर्तो एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशो के अनुसार करनी होगी।

29. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनो हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानको एवं सम्बन्धित विभागो

की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उसकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनो के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओ के विकास मे किया जायेगा ।

30. सम्पूर्ण परिसर एवं इसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यो, सामुदायिक एवं जन-सुविधाये, अवस्थापना सुविधाये, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध मे नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशो का पूर्णतया पालन करना होगा।

31. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित कियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमो व नीतियो, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की पूर्वलिखित पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नही किया जायेगा।

32. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनो मे शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियो के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप मे विकास एवं निर्माण किया जायेगा।

33. परियोजना के समस्त भवनो का निर्माण, आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमे देय समस्त शुल्क, चार्जेज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू)भी सम्मिलित है

34. परिसर मे प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा ।

35. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी ।

36. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग्न है । भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

37. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनाँक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति पर्यावरण सम्बन्धित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी । पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियमानुसार कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी ।

38. प्रस्तुत मानचित्र भवन की 30 मी० ऊंचाई तक के लिए स्वीकृत किये जाते हैं ।

39. प्रस्तावित भवनों की प्रस्तावित ऊँचाई के सम्बन्ध में एअर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर मानचित्रों में उल्लेखित शर्त को निरस्त किया जायेगा तथा संशोधित पत्र एवं मानचित्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के निर्गत किये जायेगें ।

40. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 21/2012 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं0 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्यो हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे ।

41. आबंटी संस्था सन्दर्भित योजना में प्राधिकरण के वाणिज्यिक के लेखा विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर भवन प्रकोष्ठ विभाग में, स्वीकृति पत्र के जारी होने से 45 के अन्तर्गत जमा करायेगा अन्यथा ये भवन मानचित्र स्वतः निरस्त माने जायेगे ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है, भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें ।

लीज भूखण्ड एस0सी0 - 02/डी, सैक्टर - 150 पर निर्माण का विवरण

- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 40 186.45 वर्ग मी0

- **स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य भू-आच्छादन**

आवासीय	=	11855.00 वर्ग मी0
वाणिज्यक	=	200.93 वर्ग मी0
कुल	=	**12055.93 वर्ग मी0**

- **प्रस्तावित भू-आच्छादन**

आवासीय	=	5929.390 वर्ग मी0
वाणिज्यक	=	199.734 वर्ग मी0
कुल	=	**6129.124 वर्ग मी0**

- **स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य एफ0ए0आर**

आवासीय	=	79971.04 वर्ग मी0
वाणिज्यक	=	401.86 वर्ग मी0
कुल	=	**80372.90 वर्ग मी0**

- प्रस्तावित एफ0ए0आर0

आवासीय	=	79962.320 वर्ग मी0
वाणिज्यक	=	399.468 वर्ग मी0
कुल	=	**80361.788 वर्ग मी0**

घनत्व(डेन्सिटी गणना)

भूखण्ड का क्षेत्रफल		=	40,186.45 वर्ग मी0
स्वीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य ड्वेलिंग यूनिट्स		=	609 यूनिट
संशोधन के साथ प्रस्तावित ड्वेलिंग यूनिट्स		=	925 यूनिट
कुल प्रस्तावित ड्वेलिंग यूनिट्स		=	886 यूनिट
व्यक्तियों की संख्या	= 886 × 4.5	=	3987 व्यक्ति
प्रस्तावित	= 886 × 4.5	=	3987 व्यक्ति

पार्किंग का विवरण

- कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता आवासीय(79962.32/80) = 1000 पार्किंग स्थल
- कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता वाणिज्यक (399.468/50) = 8 पार्किंग स्थल
- **कुल आवश्यक पार्किंग स्थल = 1008 पार्किंग स्थल**

- प्रस्तावित पार्किंग स्थल(बेसमेंट - 1)(33892.694/30) = 1129 पार्किंग स्थल
- प्रस्तावित पार्किंग स्थल(बेसमेंट - 2)(33892.694/30) = 1129 पार्किंग स्थल
- खुले क्षेत्र में पार्किंग स्थल(367.20/20) = 18 पार्किंग स्थल
- स्टिल्ट में प्रस्तावित पार्किंग स्थल(1679.198/30) = 55 पार्किंग स्थल
- कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल = 2331 पार्किंग स्थल

हरित क्षेत्र का विवरण

- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 40,186.45 वर्ग मी0
- प्रस्तावित भू-आच्छादन = 5929.39 वर्ग मी0
- कुल खुला क्षेत्रफल भूखण्ड का क्षेत्रफल (40,186.45 - 5929.39) = 34257.06 वर्ग मी0
- खुले क्षेत्र की आवश्यकता (खुले क्षेत्र का 50%) = 17128.53 वर्ग मी0
- प्रस्तावित खुला क्षेत्र = 17128.53 वर्ग मी0
- कुल पौधों की आवश्यकता 34257.06/100 = 342.57 = 344 पौधे

आवंटी संस्था द्वारा मानचित्रों में कुल 344 पौधों की संख्या प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 50% पौधे लम्बी अवधी एवं घने छायादार दर्शाये गये हैं ।

सैटबेक विवरणः-

सैटबेक	अनुमन्य (मी0)	प्रस्तावित (मी0)	
		सहखाना	भवन
अग्र	16.0	6.0	16.0
पृष्ठ	12.0	6.0	14.0
बाई साइड	12.0	6.0	15.0
दाई साइड	12.0	6.0	15.0

तलवार विवरण

तल	उपयोग	अनुमन्य एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	नॉन एफ.ए.आर./ सर्विस क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मी0)
भूतल	आवासीय	12055.93	362.198	4057.728	4419.926
प्रथम तल	आवासीय		530.384	4239.30	4769.684
द्वितीय तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
तृतीय तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
चतुर्थ तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
पंचम तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
छटवां तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
सातवां तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
आठवां तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352

नौवा तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
दसवां तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
ग्यारहवां तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
बारवां तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
तेरहवां तल	आवासीय		538.052	4239.30	4777.352
चौदहवां तल	आवासीय		449.974	3537.774	3987.748
पन्द्रहवां तल	आवासीय		449.974	3537.774	3987.748
सोलहवां तल	आवासीय		358.827	2814.010	3172.837
सत्रहवां तल	आवासीय		358.827	2814.010	3172.837
अट्ठारहवां तल	आवासीय		269.026	2119.316	2388.342
उन्नीसवां तल	आवासीय		269.026	2119.316	2388.342
बीसवां तल	आवासीय		179.225	1424.622	1603.847
इक्कीसवां तल	आवासीय		179.225	1424.622	1603.847
बाइसवां तल	आवासीय		88.079	700.858	788.937
तेईसवां तल	आवासीय		88.079	700.858	788.937
मशीन रूम व ममटी			895.50	---	895.50
गार्ड रूम			30.00	--	30.00
कुल			10964.966	80361.788	91326.754
बेसमेंट - प्रथम			35448.00	--	35448.00
बेसमेंट - द्वितीय			35448.00	--	35448.00
स्टिल्ट			1679.198	--	1679.198
कुल क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, नॉन एफ०ए०आर०, बेसमेंट व स्टिल्ट सहित)	= 91326.754 +35448.00+35448.00+1679.198 = 163901.952 वर्ग मी0				

टिप्पणी - स्पोर्ट सिटी का अवशेष एफ0ए0आर0 10,379.109 वर्ग मी0 जो कि कुल एफ0ए0आर0 79962.32 वर्ग मी0 का 12.98% है, का उपयोग आवासीय / ग्रुप हाऊसिंग के उपयोग में स्पोर्ट सिटी के पूर्ण हो जाने के बाद किया जा सकेगा !

Map for proposed Building is as per Bye Laws submitted for approval Please.

PL Asstt. Asstt. Arch [illegible]

नाम... 2.../06/15

पद... डा० [illegible] सक्सेना
मुख्य वास्तुविद नियोजक
नोएडा

प्रतिलिपिः

1. महाप्रबन्धक (वाणिज्यक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. सेक्रेट्री, स्टेट लेवल एन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ०प्र०, डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनेन्ट, डॉ० भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उ०प्र० को सादर सूचनार्थ ।